पुलिस विभाग जिला–अजमेर

।। प्रेस नोट दिनांक 24.07.2017 ।।

चोरी का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना मसुदा में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार टास्क कार्यवाही व अनसुंधान हेतु 24 घण्टो मे थाना हाजा पर दिनांक 18.07.17 को प्रेम कुमार सउनि मय जाप्ता प्राईवेट वाहन से वास्ते ईलाका गस्त व जुरायम कन्ट्रोल बदमाशान चैकिग करते हुये दौराने गस्त मुखबीर खास की ईतला मिली कि ग्राम सबलपुरा के पास रोड के किनारे 14 ड्रम

200–200 लीटर के पडे है। जिनके उपर दो व्यक्ति बैठे है जो चोरी के हो सकते है। आदि ईलता पर सउनि प्रेम कुमार मय जाप्ता छोटु लाल महेन्द्र सिंह प्रभु सिंह मय प्राईवेट वाहन के थाना से रवाना होकर मुताबिक ईलता ग्राम सबलपुरा पहुॅचे जहॉ पर 14 ड्रम 200–200 लीटर के पडे मिले जिन दो व्यक्ति बैठे हुये मिले है जिनका नाम पता पुछा तो पहले ने अपना नाम नरपत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति रावत उम्र 22 साल निवासी लामाना थाना मांगलियावास जिला अजमेर व दुसरे अपना नाम महेन्द्र सिंह पुत्र भागूराम जाति जाट उम्र 30 साल निवासी कोटडी थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल लामाना थाना मांगलियावास जिला अजमेर व ड्रमो के बारे पुछा तो कोई जवाब नही दिया व भागने की कोई करने लगे जिस पर सउनि प्रेम कुमार मय जाप्ते ने पकडा व उनसे ड्रमो के बारे में कोई बिल या दस्तावेज मागे तो नही होना बताया जिसका उक्त कृत्य धारा 379, 411 भादसं का पाया जाने पर उक्त 14 ड्रमो को पुलिस कब्जे लिया जाकर जब्त किया गया। व मुलजिमानो को जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर मौके की कार्यवाही कर हाजिर थाना आया उक्त मुलजिमो के विरूद्व मुकदमा नं 146/17 धारा 379, 411 भादसं दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान उक्त मुल्जिमानों द्वारा बताया कि श्री कालू उर्फ विरेन्द्र पुत्र सायर जाति रावत उम्र 30 साल निवासी सेदरिया थाना मसूदा जिला अजमेर को माल की सम्पलाई की जानी थी को दिनांक 23.7.17 को जरिये फर्द गिर फतार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया।

नकबजन चोर गिरफ्तार

पुलिस थाना क्रिश्चनगंज में परिवादी दीपक गौड पुत्र पुष्करलाल गौड जाति ब्राह्मण निवासी 311 ए प्रगतिनगर कोटडा आवासीय योजना पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज जिला अजमेर ने रिपोर्ट दी की मैं अपने परिवार के साथ दिनांक 26.05.17 को बाहर घूमने गया था दिनांक 07.06.17 को माताजी व पिताजी जब घऱ आये तो ताले टुटे हुए थे तथा घर से नगदी व जेवरात चोरी कर ले गये। आदि रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात माल मुल्जिमान की तलाश की गई।अजमेर शहर में आये दिन हो रही नकबजनी की वारदातों के मद्धेनजर पुलिस अधीक्षक अजमेर के निर्देशन में , राजेश

मीना पुलिस उप अधीक्षक वृत्त उत्तर नगर अजमेर के नेतृत्व में थानाधिकारी क्रि.गंज अजमेर ने कड़ी मेहनत व लगन से अज्ञात माल मुल्मिान की पतारसी वारदात का पर्दाफाश कर अभियुक्त विकास जैन पुत्र महावीर जैन जाति जैन उम्र 26 साल निवासी देव डूंगरी औसवाली मोहल्ला थाना मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जाकर दो दिन की रिमाण्ड पर चल रहा है। जिससे कहीं ओर वारदाते खुलने की संभावनाए है।

शांतिभंग के आरोप में 5 गिरफ्तार

पुलिस थाना गंज में शांति भंग के आरोप में 1. मोहम्मद जुबेर पुत्र मो. तारसेन जाति मुसलमान उम्र 35 साल नि. खाना बदोश दरगाह बाजार अजमेर 2. मनोज पुत्र छोटू खां जाति ब्राहमण उम्र 45 साल नि. खाना बदोश दरगाह बाजार अजमेर 3. विजय बहादुर पुत्र किशन बहादुर जाति पण्डित उम्र 25 साल नि. खाना बदोश दरगाह बाजार अजमेर 4. मो. हल्ताब पुत्र मोती खालिका जाति मुसलमान उम्र 52 साल नि. खाना बदोश दरगाह बाजार अजमेर 5. सत्यनारायण पुत्र रूपाजी जाति मेघवंशी उम्र 27 साल नि. तेलीयों की बगीची बडी नागफणी थाना गंज अजमेर को अन्तर्गत धारा 151 सी.आर.पी.सी. के गिरफ्तार किया गया।

शान्तिभंग में 12 गिरफ्तार

.**पुलिस थाना केकडी**–में सम्पतराज हैड कानि0 द्वारा रामप्रसाद पुत्र लकमाराम जाति मीणा उम्र 33 साल निवासी मीणों का नयागांव पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को शान्तिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

2.पुलिस थाना केकडी– सुखराम हैड कानि0 द्वारा 1. बालुराम पुत्र सुरजमल जाति धाकड उम्र 35 साल निवासी काबरिया थाना केकडी जिला अजमेर 2. मथुरालल पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड उम्र 28 साल निवासी गोपालपुरा थाना देवली जिला टोक 3.श्री हरिराम पुत्र रामधन जाति जाट उम्र 21 साल निवासी कणोज थाना केकडी जिला अजमेर 4 नरेन्द्र पुत्र पाचुलाल जाति भील उम्र 27 साल निवासी काबरिया थाना केकडी जिला अजमेर 5. बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति भील उम्र 19 साल निवासी समरवाडी थाना डवलाना जिला बुन्दी हाल निवासी काबरिया थाना केकडी जिला अजमेर 6. सुरजकरण पुत्र रामेष्वर जाति सैन उम्र 22 साल निवासी कणोज थाना केकडी जिला अजमेर 7 शिशुपाल पुत्र श्योजी जाति धाकड उम्र 20 साल निवासी गोपालपुरा थाना देवली जिला टोकको शान्तिभंग के आरोप में गिरफतार किया गया।

3.पुलिस थाना केकडी– विश्राम हैड कानि0 द्वारा रमेश पुत्र हेमकुमार जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी आनन्दपुरा बोगला थाना केकडी जिला अजमेर को शान्तिभंग के आरोप में गिरफतार किया गया।

पुलिस थाना मसुदा में सुरेन्द पुत्र रूपचन्द जाति हरिजन उम्र 26 साल निवासी सतावडिया थाना मसूदा जिला अजमेर 2 सिकन्दर पुत्र शीशपाल जाति हरिजन उम्र 35 साल निवासी बान्दनवाडा थाना भिनाय अजमेर 3. सुनील पुत्र शिशपाल उम्र 29 साल जाति हरिजन निवासी बान्दनवाडा थाना भिनाय अजमेर को शांति भंग में धारा 151 जा फो गिरफतार किया गया

प्रकरण में एक गिरफतार

पुलिस थाना केकडी– हरिराम कुमावत पु0नि0 द्वारा मु.नं. 316/17 धारा 418,406,420,467,468,471 आईपीसी पुलिस थाना केकडी में मुल्जिम प्रहलाद पुत्र रामचन्द्र जाति खाती उम्र 50 साल निवासी कल्याण कॉलोनी केकडी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया।

185 एमवी एक्ट में एक कार्यवाही

पुलिस थाना केकडी–में शंकरलाल उप नि0 मय जीप जाप्ता के द्वारा गस्त एंव जरायम कंट्रोल के दौरान रात्री में प्रकाश पुत्र मिठूलाल जाति दरोगा उम्र 29 साल निवासी कादेडा पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को शराब पीकर वाहन चलाने पर अन्तर्गत धारा 185 एमवी एक्ट में गिरफतार किया गया।